

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 13/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 अनुच्छेद के (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै ट्रांसकेम कार्पोरेशन, D-421/422, नीलकंठ बिज़नस पार्क, स्टेशन रोड, विद्याविहार (प), मुंबई-400086	फा. सं. DRI/MZU/D/Int- 77/2017 (Transchem Corpn.) दिनांक 22.10.2018.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. अपर आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर, मुंबई.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
2.	मै राजस्थान सन टैक्नीक एनर्जी प्राइवेट लिं., 1 ^म तल, H-ब्लॉक, धीरुभाई अंबानी नॉलेज पार्क, कोपरखैरने, नवी मुंबई-400710.	फा. सं. DRI/MZU/ CI/Int- 171/2018 दिनांक 21.02.2019.	आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), नई दिल्ली. आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), जोधपुर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टाचू सर्कल, 'C' स्कीम, जयपुर के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), नई दिल्ली.
3.	मै तुषार न्यूट्रीटीव फूड्स (प्रा) लिं., 508, B-9, आईटीएल ट्विन टावर्स, नेताजी सुभाष प्लेस, रिंग रोड, पीतमपुरा,	डीआरआई फा. सं. 23/65/2007-DZU दिनांक 29.08.2008, दिनांक 18.11.2009 और 05.03.2019 के शुद्धिपत्रों के	भूतपूर्व आयुक्त सीमाशुल्क, जेएनपीटी, न्हावा शेवा पोर्ट, रायगढ़. भूतपूर्व आयुक्त सीमाशुल्क,	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम

	नई दिल्ली और 5 अन्य.	साथ पठनीय.	सहर एयरपोर्ट, मुंबई.	हाउस, रायगढ़.
4.	परमाणु ऊर्जा विभाग, खरीद & भंडारण निदेशालय, सेंट्रल ऑफिस, विक्रम साराभाई भवन, अणुशक्ति नगर, मुंबई-400094.	फा. सं. DRI/HZU/ 48C/Enq-24(Int-18)/2017 दिनांक 18.02.2019.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-9/2019-CI]

(सुचेता श्रीजेश)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसो के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयनन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दे